



राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9(8)राज-1/2025-जिला पुनर्गठन

जयपुर, दिनांक : 31.12.2025

--: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा जिला बालोतरा एवं बाड़मेर का पुनर्गठन करती हैं।


पुनर्गठित जिला बालोतरा में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसील एवं उप-तहसील सम्मिलित रहेगी :-

क्र.स.	नाम जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील	नाम उप-तहसील		
1.	बालोतरा	बालोतरा	पचपदरा	जसोल		
			कल्याणपुर	दूदवा		
			गिड़ा	—		
			पाटोदी	सवाऊ पदमसिंह		
		सिणधरी	सिणधरी	हीरा की ढाणी		
		सिवाना	सिवाना	—		
		धोरीमन्ना	धोरीमन्ना	पादरू		
		गुड़ामालानी	गुड़ामालानी	—		
			Total	05	09	05

पुनर्गठित जिला बाड़मेर में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसील एवं उप-तहसील सम्मिलित रहेगी :-

क्र.स.	नाम जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील	नाम उप-तहसील
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर	विशाला
			बाड़मेर ग्रामीण	चवा
			बाटाडू	—
			नोखड़ा	मांगता
		गड़रा रोड़	गड़रा रोड़	हरसाणी
		चौहटन	चौहटन	लीलसर
		रामसर	रामसर	—
		बायतु	बायतु	—
		सेडवा	सेडवा	फागलिया
		शिव	शिव	भीयाड़
	Total	07	11	07

उक्तानुसार अभिलेखों के संधारण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत जिला कलक्टर, बालोतरा एवं बाड़मेर को अधिकृत करती है।

आज्ञा से

(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
- 2 प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान
- 3 निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
- 5 निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
- 6 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
- 7 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
- 8 संबंधित जिला कलक्टर उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।
- 9 आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर
- 10 आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
- 11 मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर
- 12 महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
- 13 **Analyst-cum-Programmer (ACP), राजस्व विभाग** को आदेश राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में e-Gazette प्रकाशित करवाने हेतु एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 14 निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर
- 15 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर
- 16 निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर
- 17 महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर
- 18 संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- 19 रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
- 20 अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर
- 21 सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
- 22 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
- 23 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 24 रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव
31/12/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 Under Secretary, M&G Section, CS Division, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2nd Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002.
- 2 Secretary, Ministry of Railways (Railway Board), TG-IV Section, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
- 3 Surveyor General, Survey of India, Post Box No. 37, Hathibarkala Estate, Dehradun, Uttarakhand-248001.
- 4 Director, Rajasthan Geo-Spatial Data Centre, Great Arc Bhawan-II, Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan—302039.
- 5 Director, Directorate of Map Publication, Survey of India, Post Box No. 28, Hathibarkala Estate, Dehradun, Uttarakhand-248001.
- 6 Director, National Geospatial Data Centre, Block 6, Hathibarkala Estate, Post Box No. 200, Dehradun, Uttarakhand-248001.
- 7 Deputy Secretary, SMP Division, Ministry of Science and Technology, Government of India, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016.
- 8 Director, Department of Posts, Planning Division, Ministry of Communications, Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001.


शासन उप सचिव